परिशिष्ट अ - 1

[11/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र 3098]

कार्यालय नगरपालिका परिषद महिदपुर जिला उज्जैन म0प्र0

FAX:07365-231118 E-mail: cmomahidpur@mpurban.gov.in

प्रतिलिपि पीआईसी मीटिंग प्रोसीडिंग दिनांक 15.09.2017

आज दिनांक **15.09.2017** को रखी गयी प्रेसीडेंट इन काउंसिल की बैठक श्री कय्यूम नागौरी की अध्यक्षता में नियत समय पर प्रारंभ हुई, जिसमें निम्नवत उपस्थिती रही :–

1. श्री कय्यूम नागौरी — अध्यक्ष
2. श्रीमती बबीता मालवीय — सदस्य
3. श्रीमति शबीना बी — सदस्य
4. श्री सगीर बेग — सदस्य
5. श्रीमति शबनम बी — सदस्य
6. श्रीमति विजया निर्वाणी — सदस्य
7. श्री मोहम्मद सिद्दीक — सदस्य
8. श्री लुकमान हुसैन — सदस्य

क्रमांक	विषय	संकल्प / ठहराव
423	श्री प्रकाश चौधरी, निलंबित कर्मचारी द्वारा किए गए गबन के संबंध में।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। उपस्थित सदस्यों को अवलोकन करवाया गया। अवलोकन में पाया गया कि श्री प्रकाश चौधरी मूलपद भृत्य द्वारा नगरपालिका परिषद के अधीन सौंपे गये कार्य(दायित्व) जलकर वसूली राशि, नल उपभोक्ताओं द्वारा जमा करने के पश्चात नियमानुसार संपूर्ण राशि नगरपालिका बैंक खाता में जमा नहीं कर हड़प(गबन) करता रहा है तथा नगरपालिका की निधि हड़प कर नगरपालिका परिषद को हानि पहुंचाई है। नगरपालिका निधियों के दुर्विनियोग की जानकारी लगने पर विभागीय जांच करवाई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार नगर पालिका की कुल राशि रू 24,47,806/— चौबीस लाख सैतालीस हजार आठ सौ छः का दुर्विनियोग के लिए श्री प्रकाश चौधरी व्यक्तिगत रूप से दायी हैं। इस संबंध मे पुलिस थाना महिदपुर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है। अतः म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 97 के तहत नगरपालिका निधि का दुर्विनियोग, परिषद के कर्मचारी की हैसियत में उसका कदाचरण का प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप है और उसके प्रतिकर के लिए श्री प्रकाश चौधरी के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही (रिपोर्ट) दर्ज करवाई जावे और म0प्र0 नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1968 के नियम 35 के पालन में श्री प्रकाश चैधरी अपने कर्तव्य परायण एवं निष्ठा पर नहीं रहा है तथा अशोभनीय कृत्य किया है। नगरपालिका कर्मचारी श्री प्रकाश चौधरी पर नियम 52 में शस्तियां आरोपित करने की प्रकिया में कार्यवाही की गई तथा नियम 53 में अनुशासनिक कार्यवाही होने तक निलम्बन का पालन किया गया है। कार्यालय द्वारा श्री चौधरी को सूचना पत्र क्रमांक 3/2.1.17, 33/7.1.17 एवं पीआईसी संकल्प 327/6.2.17 के पालन में अंतिम सूचना पत्र 757/3.5.17 द्वारा राशि जमा हेतु जारी किए गए परन्तु श्री प्रकाश चौधरी का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं है। म0प्र0 नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1968 के नियमों के तहत श्री प्रकाश चैधरी पर उचित तथा पर्याप्त कारणों का आधार होने से निम्नांकित शस्ति लगाई जाती है: "यह कि उक्त नियमों के नियम 35 कर्तव्यों का पालन नहीं करने के कारण नियम 49(IX) नगरपालिका सेवा से श्री प्रकाश चौधरी भृत्य को नगरपालिका सेवा से बरखास्त करती है तथा नगरपालिका निधि की राशि वसूली एवं अपराध करने की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्यवाही करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।" संकल्प पालन में कार्यवाही हेतु सीएमओ को अधिकृत किया जाता है। संकल्प सर्वानुमति से पारित किया जाता है।

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य लिपिक

अध्यक्ष(सभापति)
नगरपालिका परिषद महिदपुर

Proceeding PIC 15-09-2017

सहायक संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
विकास एवं आवास विभाग

मुख्य लिपिक
नगर पालीका, महिदपुर

अ-2

कार्यालय नगरपालिका परिषद महिदपुर जिला उज्जैन (म0प्र0)

FAX:07365-251118 E-mail: cmomahidpur@mpurbun.gov.in

महिदपुर, दिनांक 21/12/17

क्रमांक/स्थापना/2066

।। आदेश ।।

श्री प्रकाशचंद पिता कचरूलाल चौधरी मूलपद भृत्य द्वारा नगरपालिका परिषद के अधीन सौंपे गये कार्य–दायित्व जलकर वसूली राशि, नल उपभोक्ताओं द्वारा जमा करने के पश्चात नियमानुसार संपूर्ण राशि नगरपालिका बैंक खाता में जमा नहीं कर हड़प(गबन) कर नगरपालिका परिषद को हानि पहुंचाई गई, जिसकी विभागीय जांच कराए जाने पर विभागीय जांच प्रतिवेदन अनुसार कुल राशि रू 24,47,806/– चौबीस लाख सैतालीस हजार आंठ सौ छः का दुर्विनियोग के लिए श्री प्रकाश चौधरी व्यक्तिगत रूप से दायी हैं, जिसका उल्लेख महालेखाकार ग्वालियर की ऑडिट रिपोर्ट कण्डिका क्रमांक 01 में भी उल्लेखित किया गया है।

विभागीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री चौधरी को सूचना पत्र क्रमांक 3 दिनांक 2.1.17, क्रमांक 33 दिनांक 7.1.17 एवं पीआईसी संकल्प 327/6.2.17 के पालन में अंतिम सूचना पत्र क्रमांक 757 दिनांक 3.5.17 द्वारा राशि जमा हेतु जारी किए गए परन्तु श्री प्रकाश चौधरी द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कोई राशि जमा कराई गई।

प्रेसिडेंट इन काउंसिल के प्रस्ताव क्रमांक 423 दिनांक 15.09.2017 द्वारा श्री प्रकाश चैधरी पर उचित तथा पर्याप्त कारणों का आधार होने से नगरपालिका सेवा से बरखास्त करने की शस्ति लगाई जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव पीआईसी संकल्प क्रमांक 423 दिनांक 15.09.2017 के परिपालन में म0प्र0 नगरपालिका कर्मचारी(भर्ती तथा सेवा की भार्ते) नियम 1968 के नियम 35 नियम 49(IX) के तहत श्री प्रकाशचंद पिता कचरूलाल चौधरी (मूलपद भृत्य) की सेवाएं समाप्त की जाती हैं।

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका महिदपुर

महिदपुर, दिनांक 21/12/17

पृ.क्रमांक/स्थापना/2067

प्रतिलिपि–

1– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2– आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3– लेखा परीक्षा अधिकारी एसएसए–1, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षैत्र लेखा परीक्षा) ग्वालियर का पत्र क्रमांक/एसएसए–1/यूएलबी/1235 दिनांक 17.08.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
4– संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन संभाग की ओर सूचनार्थ।
5– परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
6– अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद महिदपुर जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
7– स्थापना/लेखा/सामान्य प्रशासन/राजस्व शाखा प्रभारी, नगरपालिका महिदपुर।
8– संबंधित श्री प्रकाशचंद पिता कचरूलाल चौधरी (मूलपद भृत्य) निवासी आजाद गली, वार्ड क्रमांक 05, महिदपुर जिला उज्जैन।

21/12/17

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका महिदपुर

सहायक संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

D:\all letter\Sthapna.docx

मुख्य लिपीक
नगर पालीका, महिदपुर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग